भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3541

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

नुजविड, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना

†3541. **श्री पुट्टा महेश कुमार:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के नुजविड में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है, और इसके अनुमोदन और कार्यान्वयन के चरण का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त केंद्रीय विद्यालय के लिए चिह्नित या आबंटित भूमि, स्वीकृत और जारी की गई निधि और निर्मित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;
(ग) केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालय को शीघ्र कार्यशील बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है तथा इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और
(घ) उक्त परियोजना के पूरा होने, शैक्षणिक गतिविधियों के प्रारंभ होने और छात्रों के प्रवेश की तिथि जारी करने की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) भारत सरकार ने दिसंबर 2024 में 85 नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) को स्वीकृति दी, जिसमें आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के नुजविड में एक विद्यालय भी शामिल है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविंस) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केवि, नुजविड को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही कार्यात्मक कर दिया गया है और दिनांक 01.04.2026 से राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी भवन में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। वर्तमान में, इस विद्यालय में 220 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा केवि, नुजविड के स्थायी भवन के निर्माण के लिए फरवरी, 2026 में स्थायी आधार पर केविसं. के पक्ष में 7 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई थी। केवि नुजविड के स्थायी स्कूल भवन के निर्माण का कार्य केविसं द्वारा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपयुक्त भूमि की पहचान करने, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में अंतरण/पट्टा संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने, निर्माण एजेंसी द्वारा आरेख/प्राक्कलन प्रस्तुत करने, निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करती है।

केवि खोलने और उनके कामकाज के लिए केविसं. को प्रति वर्ष तीन अलग-अलग खाता शीर्षों अर्थात वेतन, सामान्य खर्च और पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन के तहत अनुदान सहायता के रूप में बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। केविसं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला/केवि-वार निधियां आवंटित नहीं की जाती है।
